

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011 - 53⁴³ खाद्य, पटना/दिनांक - 04.01.16

प्रेषक,
रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,
अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्य शीर्ष- 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090 सचिवालय, मांग सं0-18, उपशीर्ष-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विपत्र कोड सं0 एन0-3451000900011 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यय हेतु वेतनादि को छोड़कर अन्य मदों में कुल रूपये 13,00,000/- (रूपये तेरह लाख) मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,
उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 1047/वि0 दिनांक 16.12.2015, पत्रांक 396/वि0, दिनांक 24.04.2015 एवं पत्रांक 2561/वि0, दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यय हेतु वेतनादि को छोड़कर अन्य मदों में आवश्यकतानुसार विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत निम्नांकित तालिका के अनुसार मदवार राशि आवंटित की जाती है ।

तालिका

क्र0	विषय शीर्ष/ईकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वर्तमान उपबंध	वर्ष 2015-16 लिए व्यय हेतु आवंटित मदवार राशि
1	2	3	4
1	01 01 वेतन	2,64,07,000	-----
2	01 02 विशेष वेतन	29,000	-----
3	01 03 जीवन यापन भत्ता	3,10,99,000	-----
4	01 04 मकान किराया भत्ता	50,00,000	-----
5	01 05 परिवहन भत्ता	6,83,000	-----
6	01 06 चिकित्सा भत्ता	2,09,000	-----
7	01 07 अन्य भत्ता	36,000	-----
	वेतन एवं भत्ते का योग :-	6,34,63,000	-----
8	05 01 पुरस्कार	6,000	-----
9	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,50,000	-----
10	11 01 यात्रा व्यय	10,00,000	-----
11	13 01 कार्यालय व्यय	16,00,000	-----
12	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	25,00,000	-----

13	13 03 दूरभाष	3,00,000	-----
14	13 05 विधि प्रभार	1,00,000	-----
15	13 06 वर्दी/पोषाक	42,000	-----
16	20 01 आतिथ्य व्यय	50,000	-----
17	20 03 प्रशिक्षण व्यय	4,00,000	-----
18	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	33,00,000	13,00,000
19	51 01 मोटरगाड़ी	26,01,000	
	योग:-	1,22,49,000	13,00,000
	कुल योग:-	7,57,12,000	13,00,000

13,00,000/- (रूपये तेरह लाख) मात्र

2. यह व्यय मुख्य शीर्ष- 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090 सचिवालय, मांग सं0-18, उपशीर्ष-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विपत्र कोड सं0 एन0-3451000900011 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगा ।
3. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।
4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी । किसी भी प्रकार की गलत एवं अधिकायी निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन बजट शाखा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन,

53 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक- 04.01.16
 ज्ञापांक-प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011- सरकार के संयुक्त सचिव ।
 प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

53 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक- 04.01.16
 ज्ञापांक-प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011- सरकार के संयुक्त सचिव ।
 प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

53 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक- 04.01.16
 ज्ञापांक-प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2011- सरकार के संयुक्त सचिव ।
 प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी- 1 एवं 5 (लेखा शाखा को दो प्रतियों में) एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।